

संचिका संख्या -15/औ०-02-मुक०-01/2022 -/स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि-पत्र

श्री अशोक कुमार यादव, सेवानिवृत्त (सेवानिवृत्ति की तिथि - 31.12.2024) औषधि निरीक्षक, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के सेवा से बर्खास्तगी की तिथि- 26.03.2021 से सेवा में पुनःस्थापन की तिथि - 16.08.2022 तक की अवधि को अवैतनिक असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृति संबंधी निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापाक - 425(15), दिनांक - 27.03.2025 के पैरा - 6 में टंकण भूलवश दिनांक - 31.12.2024 के स्थान पर 31.12.2022 अंकित हो गया है।

2. अतः उक्त विभागीय आदेश की पैरा - 6 में अंकित तिथि-31.12.2022 के स्थान पर 31.12.2024 पढ़ा जाय।

3. उक्त आदेश की शेष कंडिकाएँ एव शर्तें यथावत् रहेंगे।

4. प्रस्ताव में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

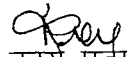
ज्ञापांक - 455(15)

पटना/दिनांक - 07/04/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित सिविल सर्जन/राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/संबंधित सहायक औषधि नियंत्रक/श्री अशोक कुमार यादव, सेवानिवृत्त औषधि निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

४४५